न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

रा0प्रा0पत्र सं0 46 / 2024.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री लक्ष्मीशंकर पुत्र श्री जयशंकर जाति ब्राहमण नि. पाडीव त्हसील व जिला सिरोही		स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित –

1– प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतीया

2– अप्रार्थी स्टेट की ओर पेरोकार सरकार

:: प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम ::

आदेश

दिनांक 15–07–2024

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15.02.2024 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि मौजा बलवंतगढ, पटवार हल्का पाडीव, तहसील सिरोही में प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र चन्द्रशेखर, पत्नि तारादेवी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 266 रकबा 0.4900 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 271, 273, 275 कुल कित्ता तीन रकबा 5.1500 हैक्टेयर है, उक्त आराजी में से हिस्सा प्रार्थी द्वारा श्रीमति सीताबाई व भागुबाई को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के विक्रय किया था। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया तथा पटवारी के लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई थी, जिसकी प्रति साथ संलग्न है । नामान्तकरण के दौरान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज विक्रय विलेख के आधार पर सहीं किया गया था तथा राजस्व नक्षा में भी तरमीम लालस्याही से सही किया गया था लेकीन तहसीलदार, सिरोही द्वारा ऑन लाईन भू नक्षा में प्रार्थी की आराजी के नक्षा में बिना किसी कारण के परिवर्तन कर उसमें फैरबदल कर दिया गया है। खसरा संख्या 273 की स्थिती को गलत दर्शित किया गया है । राजस्व अभिलेख भू नक्षा में उक्त इन्द्राज पटवारी के लट्ठा ट्रेस के अनुसार नहीं किया गया है, तथा गलत तरमीम किए जाने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है, उक्त गलत एक लिपीकीय त्रुटी है, जिसे दुरूस्त किया जाकर पटवारी के लट्ठा ट्रेस के अनुसार किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है । राजस्व कर्मचारियों का यह दायित्व था कि भूमि के लट्ठा ट्रेस के आधार पर ही राजस्व अभिलेख के ऑन लाईन भू नक्षा में उसका इन्द्राज करे, लट्ठा ट्रेस से अलग तरमीम करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी की जानकारी में उक्त गलती आने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया लेकीन उन्होने अपने क्षैत्राधिकार का मामला नहीं होना बताकर इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई, जिस पर यह प्रार्थनापत्र इस न्यायालय् के

समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त कृषि आराजी के सम्बंध में पटवारी के नक्षा ट्रेस के अनुसार राजस्व भू नक्षा अभिलेख में संशोधन किए जाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 में नक्शा ट्रेस, नक्शा, जमाबंदी, विक्रय विलेख दिनांक 10–12–2020 की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02–04–24 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित में समय दिया गया ।

प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 08–07–2024 को अप्रार्थी स्टेट की ओर से जरिए क्रमांक/कोर्ट/2024/289 दिनांक 05.06.2024 को जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि मौजा बलवंतगढ, पटवार हल्का पाडीव, तहसील – सिरोही में प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र चंद्रशेखर, पत्नी तारादेवी के खातेदारी तथा कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है, जिसके खसरा सं. 266 रकबा 0.49 हैक्टेयर तथा खसरा सं. 271, 273, 275 कुल कीता 3 रकबा 5.15 हैक्टेयर है । राजस्व भू–नक्शा (ऑनलाईन) में खसरा सं. 273 की तरमीम राजस्व नक्शा लठ्ठा अनुसार नहीं होने से नायब तहसीलदार, सिरोही के आदेश से भू–नक्शा में ख.सं. 273 की तरमीम सही की गई थी उसके बाद प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में से श्रीमति सीताबाई व भागुबाई को बेचान की गई तथा भूमि का नाकरण सं. 331 दिनांक 27.10.2023 को स्वीकृत हुआ । जिसकी तरमीम लठ्ठा ट्रेस व भू नक्शा (ऑनलाईन) में की गई थी। बाद में नायव तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त ना. करण सं. 331 को रिव्यू दिनांक 21.12.2023 को किया जाकर ना.करण को इसलिये निरस्त किया गया कि खसरा संख्या 273 में तरमीम शुद्धि का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नही दिया गया। पूर्व में जारी तरमीम शुद्धि का आदेश निरस्त किया गया। उक्त तरमीम आदेश व ना. करण निरस्त होने से भू–नक्शे में ख. सं. 273 की स्थिति पूर्व की भांति कर दी गई है। रिव्यु आदेश में नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा सक्षम स्तर से तरमीम शुद्धि का आदेश करवा कर ना. करण दायर करने हेतु निर्देश किया गया है। यह सही है कि राजस्व भू – नक्शा में खसरा सं. 273 की तरमीम पटवारी के लठ्ठा ट्रैस के अनुसार नही की गई है जो एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे लठ्ठा ट्रेस के अनुसार सही किया जाना उचित है। राजस्व भू–नक्शे में तरमीम शुद्धि माननीय उपखण्ड न्यायालय (लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर) से संबंधित है। जो इस मामले में सक्षम अधिकारी है। राजस्व भू – नक्शा में खसरा सं. 273 में नक्शा लठ्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि का आदेश दिया जाना उचित होगा ।

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली दिनांक 08–07–2024 को अंतिम बहस मे रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । हमने प्रकरण मे वकील प्रार्थी व

पेरोकार सरकार की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को तहसीलदार सिरोही के अपने जवाब में मौके एवं रेकर्ड की स्थिति अनुसार सही होना स्वीकार करने से तथा पैरोकार सरकार ने भी तहसीलदार सिरोही के जवाब के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा बलवंतगढ पटवार हल्का पाडीव के खाता संख्या 178 के खसरा संख्या 273 में नक्शा लठ्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि कर राजस्व रेकर्ड/राजस्व भू–नक्शा दुरूस्त कर पालना से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(श्री अभिषेक धारण)
लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 15–07–2024 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)